न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला–बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल लाल बंजारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 08/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0,1956

1. श्री कोदर पिता नाथू जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी सज्जनगढ।

...............प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री दाडमचन्द पिता कन्हैयालाल जाती कलाल निवासी सज्जनगढ।
2. श्री ईश्वरलाल पिता कन्हैयालाल जाती कलाल निवासी सज्जनगढ।
3. श्री गणपत पिता कन्हैयालाल जाती कलाल निवासी सज्जनगढ।
4. श्री गोविन्द पिता कन्हैयालाल जाती कलाल निवासी सज्जनगढ।
5. श्री विमल पिता रामलाल जाती कलाल निवासी सज्जनगढ।
6. श्रीमती लक्ष्मी पत्नि रामलाल जाती कलाल निवासी सज्जनगढ।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार सज्जनगढ।

..........अप्रार्थी

उपस्थित

01. श्री ईश्वर दत्त पटेल अधिवक्ता, प्रार्थी पक्ष की ओर से।

02. श्री जयराजसिंह राणावत अधिवक्ता, अप्रार्थी की पक्ष की ओर से।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः– 28.05.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कोदर पिता नाथू कलाल निवासी सज्जनगढ ने राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में शुद्वी किये जाने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अ प्रार्थी सं. 1 से 6 के नाम सामलाती खातेदारी हक से भमि भूप्रबन्ध से पूर्व ग्राम टोडी कालू की जमाबंदी संवत 2056–59 में खाता सख्या 64 पर आराजी नम्बर 133 रकबा 1–02, 134 रकबा 1–10, 164 रकबा 3–00, 198 रकबा 1–01, 200 रकबा 1–11 किता –5 कुल रकबा 8 बिघा 04 विस्वा दर्ज रिकोर्ड थी, जिसके है0 1.3273 बनते है, भूप्रबन्ध विभाग द्वारा ग्राम टोडी के नवीन खसरा नम्बर 358 रकबा 0.10 है0, 381 रकबा 0.16 है0, 383 रकबा 0.06 है0, 383 रकबा 0.09 है0, 421 रकबा 0.14 है0, 422 रकबा 0.11 है0, 430 रकबा 0.12 है0, 452 रकबा 0.14 है0, 453 रकबा 0.13 है0 एवं 454 रकबा 0.16 है0 किता 10 रकबा 1.21 है0 ही दर्ज किये जो जमाबन्दी संवत 2064 में खाता नम्बर 23 पर दर्ज रिकार्ड होकर पुराने व नवीन रकबे में 0.1173 है0 भूमी रिकार्ड में कम दर्ज की गई जबकि मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का कब्जा पूर्वानुसार ही है। आराजी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

AnyScanner

455 रकबा 0.09 है0 भूमि श्री सरकार बिलानाम भुप्रबन्ध द्वारा दर्ज कर दी गई जिसे शुद्ध कर मुझ प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज की **जावें।**

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण 03 से 07 के जवाब प्राप्त हूये जो शामिल पत्रावली है अप्रार्थीगण 01 व 02 की ओर से पेरवी हेतु कोई उपस्थित नही हुये एवं न ही स्वंय भी बावजूद सूचना के उपस्थित हुये। बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण 01 व 02 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने उपस्थित होकर बहस करते हुये प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया अप्रार्थी संख्या 07 तहसीलदार सज्जनगढ जो कि भूमिधारी है, ने जवाब प्रस्तुत किया जो सामिल प्रत्रावली है।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का भलीभाती पठन एवं मनन किया गया प्रार्थी द्वारा श्री सरकार बिलानाम दर्ज आराजी नम्बर 455 रकबा 0.09 है0 भूमि को अपने नाम से दूरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भू–प्रबन्ध से पूर्व ग्राम टोडी के आराजी नम्बर 133 रकबा 1–02, 134 रकबा 1–10, 164 रकबा 3–00, 198 रकबा 1–01, 200 रकबा 1–11 किता –5 कुल रकबा 8 बिघा 04 विस्वा भूमि प्रार्थी के सामलाती दर्ज रिकोर्ड थी, जिसके 1.3273 है0 बनते है, वक्त भू–प्रबन्ध संवत 2063 में प्रार्थी के सामलाती खाते में ग्राम टोडी के नवीन खसरा नम्बर 358 रकबा 0.10 है0, 381 रकबा 0.16 है0, 383 रकबा 0.06 है0, 383 रकबा 0.09 है0, 421 रकबा 0.14 है0, 422 रकबा 0.11 है0, 430 रकबा 0.12 है0, 452 रकबा 0. 14 है0, 453 रकबा 0.13 है0 एवं 454 रकबा 0.16 है0 किता 10 रकबा 1.21 है0 ही दर्ज किये जो जमाबन्दी संवत 2064 में खाता नम्बर 23 पर दर्ज रिकार्ड होकर पुराने व नवीन रकबे में 0.1173 है0 भूमी रिकार्ड में कम दर्ज की गई भू– प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार की गई जमाबंदी में तुलनात्मक खसरा नम्बर का अंकन नही किया परन्तु आराजी नम्बर 455 रकबा 0.09 है0 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना भूमिधारी तहसीलदार सज्जनगढ द्वारा अपने रिपोर्ट में अंकित किया है। इस प्रकार पुराने रिकार्ड के मुकाबले नवीन रिकार्ड में रकबा कम दर्ज हुआ एवं राजस्व नक्शा अनुसार प्रार्थी के खाते दर्ज आराजी 454 के लगायत ही आराजी नम्बर 455 रकबा 0.09 है0 भूमि बिलानाम सरकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज की गई।

भू.प्रबन्ध से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2056–59 एवं नवीन जमाबंदी संवत् 2064 तथा नवीन राजस्व नक्शा अनुसार उक्त खाते की भूमि तीन स्थानो पर स्थित होना प्रतीत होता है। स्थान ए पर साबिक आराजी नम्बर 133 रकबा 1 बिघा 2 विस्वा, 134 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा किता–2 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा जिसके 0.42 हैक्टेयर बनते है नवीन आराजी नम्बर 421 रकबा 0.14, 422 रकबा 0.11, 430 रकबा 0.12 किता–3 रकबा 0.37, स्थान बी पर साबिक आराजी नम्बर 164 रकबा 3 बिघा जिसके 0.49 हैक्टेयर बनते है, नवीन आराजी नम्बर 452 रकबा 0.14, 453 रकबा 0.13, 454 रकबा 0.16 किता–3 रकबा 0.43 व स्थान सी पर साबिक आराजी नम्बर 199 रकबा 1 बिघा 1 विस्वा, 200 रकबा 1 बिघा 11 विस्वा किता–2 रकबा 2 बिघा 12 विस्वा जिसके 0.42 हैक्टेयर बनते है, नवीन आराजी नम्बर 381 रकबा 0.16, 382 रकबा 0.06, 383 रकबा 0.09, 358 रकबा 0.10 किता–4

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ, जिला बांसवाड़ा (राज.)

AnyScanner

रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि स्थित है। इस प्रकार स्थान बी पर स्थित नवीन आराजी नम्बर 452, 453, 454, का कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर ही बनता है, जबकि स्थान बी पर पुराना आराजी नम्बर 164 रकबा 3 बिघा स्थित होना प्रतीत होता है, जिसके अनुसार 0.06 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खाते में कम दर्ज हुई है। स्थान बी के आराजी नम्बर 454 से लगायत ही आराजी नम्बर 455 स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा है।

अतः ग्राम टोडी कालू के आराजी नम्बर 455 रकबा 0.09 है0 भूमि में से 0.06 है0 भूमि को प्रार्थी अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

**<u>आदेश</u>**

ग्राम टोडी कालू के आराजी नम्बर 455 रकबा 0.09 है0 भूमि में से 0.06 है0 भूमि को श्री कोदर पिता नाथू कलाल निवासी सज्जनगढ के नाम खातेदारी हक से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीदार सज्जनगढ को पालनार्थ प्रति दी जावे पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सूनाया गया ।

(गोपाल लाल बंजारा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

AnyScanner